न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री प्रभात त्रिपाठी)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं./राजस्व वाद/12/2022

1. श्री रतनलाल पुत्र श्री रंगलाल जाति जाट निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर

(वादीगण)

बनाम

1. श्री मांगू पुत्र श्री कजोड जाति खारोल(खारवाल) निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. श्रीमति रामकन्या पत्नि श्री मदन जाति खारोल(खारवाल) निवासी राममालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय जिला अजमेर

(प्रतिवादीगण)

निर्णय अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– 1. वकील वादी श्री शिवचरण चौधरी

2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 20.09.2022

वादी ने इस वाद पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि ग्राम राममालिया पटवार हल्का राममालिया भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धांतोल तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2071–2074 के खाता सं. 583 में दर्ज खसरा नं. 1132 रकबा 2.86, 1133 रकबा 0.20 किता–2 रकबा 3.06 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमियां है। जिसमें वादी का 67/153 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं. 1 का 1/3 व प्रतिवादी सं. 2 का 35/153 हिस्सा निहित है एवं अपने इसी हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 अपनी उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहें हैं। वाद वर्णित आराजीयात में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 के अतिरिक्त अन्य किसी दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा अधिकार नहीं है।

उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 की संयुक्त काश्त की अविभाजित आराजीयात होने से वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 का उक्त प्रश्नगत आराजी के प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा एवं अधिकार है। वादी उक्त संयुक्त आराजीयात में हिस्से अनुसार विभाजन करवाना चाहता है जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। इस हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई हैं। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 का विधिवत विभाजन कर अलग–अलग खाते कायम करने के आदेश कराने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। नोटिस तामिली बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार ने वाद पत्र पर जवाब प्रस्तुत कर प्रश्नगत आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 की संयुक्त आराजीयात होना पूर्णतया स्वीकार हैं। उक्त भूमि में किसी भी प्रकार से

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

राजहित प्रभावित नहीं होता हैं अतः वाद पत्र के संदर्भ में विस्तृत जवाव प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं एवं उक्त आराजीयात में रिकॉर्ड अनुसार दर्ज खातेदारान के मध्य उनके हक हिस्से अनुसार विधिवत बंटवारा किया जाना न्यायोचित बताया।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहन अध्ययन किया जाकर उपस्थित पक्षकारान के कथनों पर मनन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आनुतोष योग्य में न्यायसंगत होना पाया गया।

—:आदेश:—

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 के मध्य ग्राम राममालिया पटवार हल्का राममालिया भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धांतोल तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी सवत् 2071—2074 के खाता सं. 583 में दर्ज खसरा नं. 1132 रकबा 2.86, 1133 रकबा 0.20 किता—2 रकबा 3.06 है0 भूमि का मिट्स एवं बाउण्ड के आधार पर उपवर्णित हक हिस्से अनुसार बंटवारा कर पृथक—पृथक लगान व खाते कायम करने की प्रथमिक डिक्री कायम की जाती हैं। यथानुसार तहसीलदार भिनाय बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव आगामी पेशी दिनांक तक प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रभात त्रिपाठी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज